न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचोर

पीठासीन अधिकारी – हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 02/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
राजाराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी डावल, तहसील चितलवाना जिला सांचोर (राज.)		01– रूगनाथाराम पुत्र हरचंदजी 02– चुनाराम पुत्र हरचंदजी 03– किशनाराम पुत्र हरचुदजी 04– सुगणीदेवी पत्नि हरचंदजी 05– मांगीलाल पुत्र नारायण 06– दिनेश पुत्र नारायण 07– चुनी बैवा नारायण 08– गंगाराम पुत्र भींयाराम, जातियान– विश्नोई, निवासीगण– रतनपुरा, तहसील– चितलवाना जिला सांचोर (राज.) 09–सरपंच ग्राम पंचायत गोमी

<u>म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट</u>
<u>बनाराजगी ग्राम पंचायत गोमी द्वारा अस्वीकृत आदेश नामान्तरकण संख्या</u>
<u>255 दिनांक 20–07–2014</u>

उपस्थिति :–

1– अपीलाण्ट वकील श्री प्रताप विश्नोई एंव मुकेश कुमार पुरोहित।
2– रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 की ओर से श्री भजनलाल विश्नोई।
3– रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ता 09 एक पक्षीय

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचोर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय   दिनांक 07-02-2024

अपीलाण्ट द्वारा ग्राम पंचायत गोमी के ग्राम रतनपुरा तहसील चितलवाना मे रामचन्द्र के परिवार की भूमि जिसमे नारायण, हरचंद, वगता, भीया के नाम की खातेदारी थी। जिनके फौत हाने पर उनके पुत्रगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसके खसरा संख्या 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191, 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240 रकबा कमशः 0.55, 0.31, 0.31, 0.72, 1.13, 0.61, 0.77, 1.16, 0.52, 0.05, 0.81, 0.83, 2.30, 2.64, 1.26 हैक्टर जुमले रकबा 13.97 हैक्टर इनके संयुक्त खातेदारी की थी। जिसमे से मेने हरचंद पुत्र रायचंद उर्फ रामचन्द्र से उसके जीवनकाल मे खसरा संख्या 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 रकबा कमशः 0.55, 0.31, 0.31, 0.72, 1.13, 0.61, 0.77 हैक्टर जुमले रकबा 4.40 मे से हरचंद के हिस्से की भूमि यानि 1/4 हिस्सा की 1.10 हैक्टर भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तब से लेकर आज दिन तक इस भूमि पर कब्जाकाश्त मेरा है। यह भूमि राजस्व रेकर्ड मे संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। परन्तु मौके पर वर्षो पूर्व विभाजन हो चुका था तथा रामचन्द्र के चारो पुत्रो की अलग–अलग भूमि आई हुई है। जिसमे हरचंद के नाम की अलग से आई हुई भूमि जो मेने रकबा 1.10 हैक्टर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। खातेदार वगता जो निसंतान फौत हो गया है। जिसकी भूमि हरचंद के पास है। हमने हरचंद के हिस्से की भूमि कय करने पर अन्य खातेदारान ने हरचंद व उसके परिवार पर दावा कर वगता के हिस्से की भूमि के संबंध मे विवाद पैदा किया व स्थगन प्राप्त कर लिया। जिस पर पुरा खाता संयुक्त हो[illegible] 23.06.2009 के आधार पर जो म्यूटेशन हरचंद से उ[illegible] हैक्टर का मेरे नाम होना था। जो नही हुआ व राजस[illegible] दर्ज नही हो सका। खातेदार बैचानलकर्ता हरचंद दिनांक 08.10.2012 को प[illegible] हो गये उनके फौत होने पर हल्का पटवारी ने उनके नाम दर्ज भूमि संम्पूर्ण का नामान्तरकरण उसके पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

रूगनाथ, चूनाराम, किशनाराम, व पत्नी सुगणी के नाम नामान्तरकरण खोलकर ग्राम पंचायत गोभी ने दिनांक 20.07.2014 को मुझे बैचान की गई भूमि का भी नामान्तकरण उत्तराधिकारी के आधार पर उनके पुत्रो के नमा खोलकर स्वीकृत कर दिया जो गलत है। जबकि मुझे बैचान की गई भूमि का नामान्तरकरण खसरा संख्या 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 जुमले रकबा 4.40 हैक्टर 1/4 हिस्सा का रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण बैचान रजिस्ट्री के आधार पर मेरे नाम खोलना था। क्योकि इस भूमि को हरचंद अपने जीवनकाल मे दिनांक 23.06.2009 को बैचान कर चुका है। हमारे पक्ष मे किए गये बैचान के बाद न्यायालय का स्थगन होने से नामान्तरकरण मेरे नाम भरकर नही किया गया। व आज भी स्थगन है। बावजूद स्थगन के नामान्तरकरण संख्या 255 भरकर स्वीकृत किया है जो गलत है। जिसकी जानकारी अभी हल्का पटवारी से मिलने पर मैने नामान्तरकरण की नकल की मांग की जो मुझे दिनांक 19.01.2018 को नकल प्राप्त करने पर अंदर म्याद यह अपील पेश है। उक्त खसरा नम्बरान 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 जुमले रकबा 4.40 मे 1/4 हिस्से मे रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण बैचान रजिस्ट्री दिनांक 23.06.2009 के आधार पर मुझ अपीलार्थी के नाम खोला जाकर स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान करावे। पूर्व नामान्तरकरण संख्या 255 को निरस्त फरमावे।

अपीलाट की अपील दिनांक 20.02.2018 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 4 ता 9 नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.01.2024 को जवाब पेश कर निवे[illegible]रण संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्र[illegible] की पैतृक संपति हो जो हम रेस्पोडेन्ट्स के पिता ह[illegible]कारी मे हम रेस्पोडेन्ट के दादा रामचन्द्र से प्राप्त हुई थी इस कारण उक्त [illegible]ग्रस्त आराजी हम रेस्पोडेन्ट्स की पैतृक संपति हम रेस्पोडेन्ट्स की पैतृक संपति है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

पिता हरंचदजी जो व्योवृद्व होने तथा अफीम के बंधाणी व अक्सर बीमार रहने व अनपढ होने के कारण उनको अपीलार्थी राजाराम जो शिक्षक होने से इसका नाजायज फायदा उठाकर वृद्वावस्था पेंशन बढाने का झूठा झांसा देकर हम रेस्पोडेन्ट्स की मौजा रतनपुरा मे स्थित आराजी खेत खसरा संख्या 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 जुमले रकबा 4.40 हैक्टर मे से हम रेस्पोडेन्ट के पिता हरचंद के हिस्से की भूमि मे से रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का बैचान दस्तावेज अपने नाम निष्पादित करवा दिया जो ऐसा दस्तावेज कूटरचित व इबइनिशियो वोईड दस्तावेज है। चूंकी अपीलार्थी ने धोखे से करवाए गए बैचान दस्तावेज को हम रेस्पोडेन्ट के पिता हरचंदजी के जीवनकाल मे नामान्तरकरण अपीलार्थी ने अपने नाम स्वीकृत नही करवाया। जिसका मुख्य कारण यह था कि हमारे पिता हरचंदजी द्वारा उनके उपर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। इस प्रकार अपीलार्थी ने जेल से बचने के लिए इतने दिन तक उक्त बैचान दस्तावेज को जान बुझकर हमारे पिता व हम रेस्पोडेन्ट से छुपाए रखा। हम रेस्पोडेन्टस के नाम से हमारे पिता हरचंदजी के फौत होने पर नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी अमल दरामद होने के लंबे अर्से बाद उक्त नामान्तरकरण अपील माननीय न्यायालय मे पेश की है जो म्याद बाहर होने से अपील काबिल खारीज है।

हमने अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत बैचान दस्तावेज एव पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया जो इस प्रकरण में हुबहु चस्पा होते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर यह तो प्रमाणित है कि मौजा रतनपुरा के खेत खसरा संख्या खसरा नम्बरान 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 जुमले रकबा 4.40 हैक्टर मे 1/4 हिस्सा की रकबा 1.10 हैक्टर भूमि अपीलाण्ट द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त करना साबित होता है। जिसकी [illegible] बैचान दस्तावेज में साक्ष्यगण आशाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई व रामलाल पुत्र फगलूराम विश्नोई निवासी बिछावाड़ी ने की है व इसी प्रकार उक्त आराजी पर अपीलाण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:39:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

का कब्जा होना हल्का पटवारी रतौड़ा व भू–अभिलेख निरीक्षक चितलवाना की जांच रिपोर्ट से बखुबी साबित है व इसी प्रकार उक्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा होना स्पष्ट होता है। ऐसी अवस्था मे नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 20.07.2014 को ग्राम पंचायत गोमी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। एवं परिसिमा के बिन्दु पर सुना गया। उक्त परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से एवं अपीलान्ट द्वारा पेश न्यायीक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। जिसे उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। अतः ग्राम पंचायत गोमी द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। इन परिस्थितियो में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय ग्राम पंचायत गोमी के पारित आदेश दिनांक 20–07–2014 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 255 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया जाता है कि मौजा रतनपुरा ासरा नम्बरान 153, 154, 155, 162, 163, 189, 191 जुमले रकबा 4.40 मे 1/4 हिस्से मे रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का अपीलाण्ट के पक्ष में हुयें बैचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:59:24 IST
Reason: SelfAttested